रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-टी.एन.-अ.-13032020-218632
CG-TN-E-13032020-218632

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 5, 2020/फाल्गुन 15, 1941
No. 101] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 5, 2020/PHALGUNA 15, 1941

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय

अधिसूचना

चेन्नई, 5 मार्च, 2020

सं. आईएमयू/मुख्यालय/एडीएम/अधिसूचना/2020/01.—भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (2008 के 22वें) की धारा 47(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सामान्य सूचना हेतु निम्नांकित अधिसूचनाएं प्रकाशित की जाती हैं :

क्रम सं.	संविधि/ अध्यादेश/ अधिसूचना	विवरण	कार्यकारी परिषद् का संकल्प
1	सांविधि 48	सांविधि 48 (प्रशिक्षण प्रभाग)	दिनांक 24.9.2019 के ईसी-2019-49-25 *MoS पत्र सं. ST-14011/26/2019-MT दिनांक 16.01.2020*
2	2018 का अध्यादेश 33	अनुसंधान अध्ययन बोर्ड के गठन, उसके प्रकार्य तथा उसकी नियमित बैठकों के आयोजन निर्धारित करते हुए अध्यादेश (सांविधि 19 के अंतर्गत)	वर्ष 2018 के दिनांक 07.12.2018 का ईसी परिचालन 06 तथा दिनांक 20.12.2019 के ईसी -2019-51-07 द्वारा संशोधित
3	2020 का अध्यादेश 01	‘‘प्रशिक्षण एवं सतत शिक्षा (सीटीसीई) हेतु केन्द्र स्थापित करने के लिए अध्यादेश’’	दिनांक 20.12.2019 ईसी--2019-51-09
4	2020 का अध्यादेश 02	आईएमयू परिसरों के विद्यार्थियों के लिए कार्य-निष्पादन आधारित पुरस्कार हेतु अध्यादेश	दिनांक 20.12.2019 ईसी--2019-51-11

नोट :

अंग्रेज़ी और हिंदी के रूपांतरणों के बीच में यदि कोई विसंगति हो तो अंग्रेज़ी रूप को अभिभावी माना जाएगा।

सांविधि 48

"सांविधि 48 [प्रशिक्षण प्रभाग]

प्रशिक्षण एवं सतत शिक्षा के लिए एक केंद्र होगा। केंद्र द्वारा लागू की जाने वाली संरचना, प्रकार्य एवं शुल्क, अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे"।

2018 का अध्यादेश 33

[वर्ष 2018 के दिनांक 07.12.2018 का ईसी परिचालन 06 तथा दिनांक 20.12.2019 के

ईसी -2019-51-07 द्वारा संशोधित]

अनुसंधान अध्ययन बोर्ड के गठन, उसके प्रकार्य तथा उसकी नियमित बैठकों के आयोजन निर्धारित करते हुए अध्यादेश

(सांविधि 19 के अंतर्गत)

अनुसंधान अध्ययन बोर्ड के गठन, उसके प्रकार्य तथा आचरण संबंधी विनियमन निर्धारित करते हुए वर्ष 2018 के 33वें अध्यादेश के अनुच्छेद 2 एवं 3 में निम्नांकित संशोधन किया जाता है :

मौजूदा	संशोधित
2. संयोजक : उप कुलपति द्वारा नामित एक वरिष्ठ संकाय ही संयोजक होंगे।	2. संयोजक : परीक्षा नियंत्रक या उनकी अनुपस्थिति में उप कुलसचिव (शिक्षण) संयोजक होंगे।
3. आमंत्रित व्यक्ति : परीक्षा नियंत्रक या सहायक कुल सचिव और उनसे ऊपर के स्तर के नामिती इस समिति के स्थायी आमंत्रित व्यक्ति होंगे। आवश्यकता के अनुसार अध्यक्ष किसी को भी विशिष्ट आमंत्रित व्यक्ति के रूप में आमंत्रित कर सकते हैं।	3. आमंत्रित व्यक्ति : आवश्यकता के अनुसार अध्यक्ष किसी को भी विशिष्ट आमंत्रित व्यक्ति के रूप में आमंत्रित कर सकते हैं।

2020 का अध्यादेश 01

[दिनांक 20.12.2019 के ईसी-2019-51-09]

''प्रशिक्षण एवं सतत शिक्षा (सीटीसीई) हेतु केन्द्र स्थापित करने के लिए अध्यादेश''

1. प्रशिक्षण एवं सतत शिक्षा (सीटीसीई) : आईएमयू मुख्यालय में अधिकारियों, पेशेवरों व्यक्ति, संकाय एवं नौ परिवहन के क्षेत्र के क्षेत्र के विद्यार्थियों, पोर्ट एवं अन्य क्षेत्रों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'प्रशिक्षण एवं सतत शिक्षा (सीटीसीई) स्थापित किया जाना चाहिए
2. **सीटीसीई की प्रशासनिक संरचना :**
    a. किसी भी स्कूल के वरिष्ठ प्रोफेसर को उप कुलपति (वीसी) द्वारा प्रमुख (सीटीसीई) के रूप में नामित किया जाएगा। प्रमुख (सीटीसीई) वीसी को रिपोर्ट करेंगे। प्रोफेसर की अनुपस्थिति में एक वरिष्ठ संकाय सदस्य को वीसी द्वारा सीटीसीई का प्रमुख बनने के लिए नामित किया जाएगा।

    b. उप कुलपति, प्रमुख (सीटीसीई) और परसिर निदेशक के परामर्श से वरिष्ठ संकाय (संबंधित विषय) को हर प्रशिक्षण क्रियाकलाप के लिए कार्यक्रम संयोजक (पीसी) का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम संयोजक, प्रमुख (सीटीसीई) को रिपोर्ट करेंगे।

    c. कार्यक्रम संयोजक अपने संकाय (नियमित/ ठेका/ अतिथि) दल और सहायता कर्मचारियों को कार्य आबंटित करते हुए पाठ्यक्रम का प्रबंधन करेंगे। एपीएआर के संदर्भ में इन कार्यक्रमों में निवेश की गई अवधि को शैक्षणिक कार्यावधि माना जाएगा।

    d. उप कुलपति, सीटीसीई को आवश्यकता के अनुसार क्रियाकलापों के आयोजन हेतु प्रशासनिक कर्मचारी (डीआर/ एआर/ एसओ/सहायक) आबंटित करेंगे। उक्त प्रशासनिक कर्मचारी, प्रमुख (सीटीसीई) को रिपोर्ट करेंगे।

3. **सीटीसीई के प्रकार्य :**

a. अधिकारियों, पेशेवरों, संकाय एवं नौ परिवहन के क्षेत्र के विद्यार्थियों, पोर्ट एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों की समुद्री प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने।

b. विश्वविद्यालय/ व्यावसायकि निकाय/ / उद्योग/ सरकारी एजेन्सियों के साथ संपर्क स्थापित करते हुए नवीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की योजना बनाना/ विकास करना तथा आयोजित करना।

c. प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए संकायों से प्राप्त प्रस्तावों का प्रक्रम तथा आईएमयू का वार्षिक प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार करना और उसके बाद उप कुलपति को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना।

d. मुख्यालय एवं परिसरों में प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं तैयार करना और उनका रखरखाव।

e. प्रशिक्षणार्थियों के भविष्य में उपयोग के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से इकत्रित शिक्षण सामग्री संग्राहक बनाए रखना तथा वितरित शिक्षण व्यवस्थाओं (वेब आधारित पाठ्यक्रम) और प्रदान करने की पद्धति का विकास करना।

f. सीटीसीई के वित्त एवं लेखा को कार्यक्षम एवं इष्टतम पद्धति से बनाए रखना।

4. सीटीसीई द्वारा जारी विभिन्न प्रकार के प्रामाणीकरण निम्नानुसार होंगे :

#	पाठ्यक्रम	कार्यावधि
1	संबंधित विषय में प्रामाणीकरण	6 महीनों तक
2	स्नातकोत्तर डिप्लोमा	6 – 12 महीने
3	स्नातकोत्तर उपाधि	12 महीनों से अधिक

5. कार्मिक शक्ति

a. संकाय सदस्य, जो प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना चाहते हैं, वे पाठ्यक्रम के उद्देश्य, शुल्क, लागू जीएसटी एवं अन्य कर, बजट, अतिरिक्त प्रभार, कार्मिक शक्ति एवं अवसंरचनात्मक आवश्यकताएं आदि के साथ प्रमुख (सीटीसीई) को प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

b. वे संकाय जिनके प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है, उन्हें पाठ्यक्रम संयोजक के रूप में नामित किया जाएगा। वे आंतरिक एवं बाह्य स्रोत के व्यक्तियों द्वारा पाठ्यक्रम की अवसंरचना एवं संकाय आवश्यकताओं का प्रबंधन करेंगे।

c. पाठ्यक्रम को आयोजित करने के लिए कर्मचारियों को ठेके पर अल्पकालिक अवधि के लिए लिया जा सकता है। इसे पाठ्यक्रम संयोजक के निर्णयानुसार तथा संबंधित आईएमयू प्रतिमानकों के अनुसरण में शिक्षण या प्रशासनिक सहायता सेवाओं के लिए भी हो सकता है।

6. **वित्त**

a. सामान्य रूप से राजस्व व्ययों को सीटीसीई द्वारा उत्पन्न किए जानेवाले राजस्वों तक सीमित किया जाएगा। इसमें कोई भी कमी या अभाव को उप कुलपति के अनुमोदन के साथ इस उद्देश्य के लिए निर्माणीत आरक्षीत निधि से किया जा सकता है।

b. हर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम संयोजक, अनुमोदनार्थ बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। जीएसटी और अन्य लागू करों के विवरणों को बजट तैयार करते समय किया जाएगा।

c. सीटीसीई में उचित लागत निर्धारण के साथ नियमित कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त कार्यसमय का लेखांकन किया जाएगा।

d. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए नियोक्त स्रोत व्यक्ति के लिए किए गए सभी व्यय (जैसे प्रतिपूर्ति, यात्रा, आतिथ्य, मानदेय आदि) की प्रतिपूर्ति निर्धारित प्रतिमानकों के अनुसार आईएमयू द्वारा किया जाएगा।

e. आईएमयू प्रतिमानकों के अनुसरण में ही क्रय एवं सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

f. सीटीईसी (जैसे कार्यालय स्थल, कक्षाएं आदि) के क्रियाकलापों को आयोजित करने के लिए आवश्यक भौतिक अवरसंरचनाओं को आईएमयू मुख्यालय/ परिसरों से किया जाएगा। IMU मानदंडों के अनुसार कार्यक्रम के बजेट पर ओवरलोड चार्ज लोड किया जाएगा। सभी अवरसंरचनात्मक सुविधाओं के रखरखाव एवं उन्नयन के

व्ययों को आईएमयू राजस्व बजट से किया जाएगा। सीटीसीई के लिए सृजित कोई भी परिसंपत्ति को इष्टतम उपयोग के लिए आईएमयू के प्रभार में रहेगी।

g. पाठ्यक्रम संयोजक, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण करने के एक महीने के अंदर पाठ्यक्रम के तकनीकी पहलू, प्रतिभागी विवरण एवं फीडबैक तथा आय एवं व्यय के अंतिम विवरण के साथ विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

h. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष लागत एवं अतिरिक्त व्यय का लेखांकन करने के बाद यदि कोई प्राप्त निवल अधिशेष हो तो उसे निम्नानुसार आबंटित किया जाएगा।

(i) निवल अधिशेष के 50% भाग को सीटीसीई के आरक्षीत निधि में डाला जाएगा।

(ii) 15% भाग को परिसर विकास निधि में डाला जाएगा।

(iii) 10% को विश्वविद्यालय विकास निधि में डाला जाएगा और

(iv) 25% भाग को पाठ्यक्रम संयोजक के निर्णयानुसार, प्रमुख (सीटीसीई) द्वारा संस्तुत तथा निम्नलिखित शर्तों के आधार पर वीसी द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में कार्यरत संकाय एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहन भत्ता के रूप में दिया जाएगा :

a) आईएमयू के सभी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, परामर्श एवं वित्तीय वर्ष में अन्य के लिए दिए जाने वाले मानदेय हेतु ऊपरी सीमा उक्त वित्तीय वर्ष में प्राप्त करने वाले सकल वेतन का 60% होगा।

b) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए विशेष रूप से कार्य पर नियुक्त ठेके के कर्मचारी मानदेय के अर्हक नहीं होंगे।

c) पाठ्यक्रम संयोजक, हर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए अलग लेखाशीर्ष रखेंगे।

d) आईएमयू के प्रतिमानकों के अनुसार संकाय/ कर्मचारी द्वारा बाह्य निधि से प्रायोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए प्रदत्त समय, उनके अनिवार्य कार्यभार से समझौता नहीं करेगा।

वर्ष 2020 का अध्यादेश 02

[दिनांक 20.12.2019 का ईसी-2019-51-11]

आईएमयू परिसरों के विद्यार्थियों के लिए कार्य-निष्पदन आधारित पुरस्कार हेतु अध्यादेश

1. इस अध्यादेश को 2020-21 के शैक्षणिक वर्ष से प्रवेश पानेवाले विद्यार्थियों के लिए लागू है। इससे पहले प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों के लिए कार्यालयी राजपत्र संख्या 273 में प्रकाशित वर्तमान का 2015 का 80 वा आध्यादेश, दिनांक 19-07-2018 लागु होगा।

2. 'कार्य-निष्पादन पुरस्कार' योजना, आईएमयू परिसरों के विद्यार्थियों के लिए ही लागू है और वह विद्यार्थियों को हर वर्ष उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित करने, अनुशासन बनाए रखने तथा सदाचरण अपनाने तथा उत्कृष्ट कोटि के विद्यार्थियों के ऋण का बोझ कम करने के लिए दिया जाता है ।

3. चूंकि, यह पुरस्कार पूर्ण रूप से शैक्षणिक कार्य-निष्पादन पर आधारित है इसे आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं लिया जाएगा।

4. पुरस्कार वार्षिक स्तर पर प्रदान किए जाएंगे, यह विद्यार्थी द्वारा अन्य स्रोतों से प्राप्त की जानेवाली छात्रवृत्ति/ निशुल्क/ विद्यार्थी अध्येतावृत्ति / वृत्तिका आदि के लिए बाधा नहीं होगा।

5. पुरस्कार वार्षिक स्तर पर विद्यार्थी के पिछले वर्ष के शैक्षणिक कार्य-निष्पादन के आधार पर प्रदान किया जाएगा। किसी भी प्रकार के पाठ्यक्रम अर्थात् 2,3,4 वर्ष पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के लिए पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे ।

6. यह केवल स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रमों के लिए ही लागू किया जाएगा जिनकी कालावधि 2 या दो से अधिक वर्ष है। अत: दो वर्ष की कालावधि से कम डीएनएस, पीजीडीएमई एवं अन्य पाठ्यक्रमों को इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।

7. 'कार्य-निष्पादन आधारित पुरस्कार' के अर्हक होने के लिए विद्यार्थियों को संबंधित वर्ष के विषम एवं सम सत्र, दोनों में प्राप्त अंकों के आकलित कुल योग में कम से कम 75% होना चाहिए। इसके विवरण नीचे दिए गए हैं :

कार्यक्रम की अवधि	वितरण समय	सत्र जिन्हें किसी शैक्षणिक वर्ष हेतु कुल अंक की गणना करने के लिए लिए जाएंगे।
2 वर्ष	प्रथम शैक्षणिक वर्ष के अंत में	1 & 2
3 वर्ष	प्रथम शैक्षणिक वर्ष के अंत में	1&2
	द्वितीय शैक्षणिक वर्ष के अंत में	3&4

4 वर्ष	प्रथम शैक्षणिक वर्ष के अंत में	1&2
	द्वितीय शैक्षणिक वर्ष के अंत में	3&4
	तृतीय शैक्षणिक वर्ष के अंत में	5&6

8. पुरस्कार के लिए विचाराधीन संबंधित वर्ष में परिणाम घोषित किए जाने पर पुरस्कार के अर्हक होने के लिए विद्यार्थी के किसी भी सत्र से संबंधित बकाया परीक्षा विषय नहीं होना चाहिए।

9. कोई भी विद्यार्थी, जिसने उत्पात मचाने या परीक्षा में कदाचार के लिए या अनुशासनहीनता या कदाचार के लिए दंड प्राप्त किया हो तो वह इस पुरस्कार के लिए स्थायी रूप से अर्हक नहीं होगा। इस संदर्भ में विद्यार्थियों को परिसर निदेशों के से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करना होगा।

10. 'कार्य-निष्पादन आधारित पुरस्कार' प्राप्त करनेवाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का उत्कृष्टता क्रम नीचे प्रस्तुत की गई सारिणी के अनुसार होगा :

पाठ्यक्रम/ पुरस्कर रकम (रुपयों में)	स्नातक/स्नातकोत्तर	वर्ष	सर्वप्रथम रु. 50,000	II खंड : रु. 35,000	सर्वप्रथम रु. 25000	सर्वप्रथम रु. 20,000	II खंड : रु. 18,000	II खंड : रु. 15,000	कुल पुरस्कार
B.Sc(NS)	UG	1	1	21	-	-	-	-	22
B.Sc(NS)	UG	2	1	21	-	-	-	-	22
B.Tech (ME)	UG	1	1	27	-	-	-	-	28
B.Tech (ME)	UG	2	1	27	-	-	-	-	28
B.Tech (ME)	UG	3	1	27	-	-	-	-	28
B.Tech (NA & OE)	UG	1	1	3	-	-	-	-	4
B.Tech (NA & OE)	UG	2	1	3	-	-	-	-	4
B.Tech (NA & OE)	UG	3	1	3	-	-	-	-	4
MBA (ITL) and MBA (PSM)	PG	1	1	11	-	-	-	-	12
M.Tech(NAOE) and M.Tech(DHE)	PG	1	1	2	-	-	-	-	3
M.Tech (MEM)	PG	1	1	1	-	-	-	-	2
BBA(LRE)	UG	1	-	-	-	1	-	5	6
BBA(LRE)	UG	2	-	-	-	1	-	5	6
MSC(CSL)	PG	1	-	-	1	-	1	-	2
			11	146	1	2	1	10	171

नोट : पुरस्कारों का वितरण, एक वर्ष में उपर्युक्त तालिका के अनुसार अधिक नहीं होना चाहिए अर्थात् पुरस्कारों की संख्या उपर्युक्त तालिका के अनुसार किसी भी वर्ष में हर पाठ्यक्रम, खंड से अधिक नहीं होना चाहिए।

11. 'सर्वप्रथम' एवं अन्य पुरस्कृतों को निर्धारित करने के लिए, संपूर्ण विश्वविद्यालय को एक एकक के रूप में लिया जाएगा, अलग परिसरों के रूप में नहीं।

12. यदि 'प्रतिस्पर्धा में बराबरी' हो जाए तो उस विशिष्ट सत्र के विद्यार्थियों के सैद्धांतिक पत्रों के लिए कुल बाह्य अंकों को अवरोही क्रम में लगाकर सुलझाया जा सकता है। यदि फिर भी 'प्रतिस्पर्धा में बराबरी' हो तो उक्त सत्र के लिए विद्यार्थियों की उपस्थिति के अवरोही क्रम में लगाकर सुलझाया जा सकता है।

13. विद्यार्थी अपने सत्र शुल्क तथा आईएमयू को देय अन्य भुगतानों के समक्ष 'कार्य-निष्पादन आधारित पुरस्कार' के लिए अर्हकता स्थापित नहीं कर सकता है। तथापि, आईएमयू, विद्यार्थी के 'कार्य-निष्पादन आधारित पुरस्कार' से देय भुगतानों को वसूल करने का अधिकार है।

14. आईएमयू, किसी भी समय इस अध्यादेश में संशोधन करने/ उसे निरस्त करने का अधिकार रखता है।

कप्तान (आई एन) ए. के. पलुसकर (सेवानिवृत), कुलसचिव, आई. एम. यू.

[विज्ञापन–III / 4 / असा. / 488 / 19]

INDIAN MARITIME UNIVERSITY

NOTIFICATION

Chennai, the 5th March, 2020

No. IMU/HQ/ADM/Notification/2020/01.—In exercise of the powers conferred by Section 47 (1) of the Indian Maritime University Act, 2008 (22 of 2008), the following Notifications are published for general information:

Sl.No.	Statute/ Ordinance/ Notification	Description	Executive Council Resolution
1.	Statute 48	Statute 48 (Training Division)	EC-2019-49-25 dated 24.9.2019 & MoS letter No. ST-14011/26/2019-MT dated 16.01.2020
2	Ordinance 33 of 2018	Ordinance prescribing Composition of Board of Research Studies, its Functions, and Regulations for Conduct of its meetings (Under Statute 19)	EC Circulation 06 of 2018 dated 7.12.2018 and amended vide EC-2019-51-07 dated 20.12.2019
3	Ordinance1 of 2020	Ordinance for Establishing the Centre for Training & Continuing Education (CTCE)	EC-2019-51-09 dated 20.12.2019
4	Ordinance 2 of 2020	Ordinance on performance based reward for students of IMU Campuses	EC-2019-51-11 dated 20.12.2019

Note:
In case of discrepancy between English and Hindi version of this document, the English version shall prevail.

Statute 48

"Statute 48 [Training Division]
There shall be a Centre for Training & Continuing Education. The structure, function and the fees to be charged by the Centre shall be prescribed by the Ordinances''.

Ordinance 33 of 2018

[EC Circulation 06 of 2018 dated 7.12.2018 and amended *vide*
EC-2019-51-07 dated 20.12.2019]

Ordinance Prescribing Composition of Board of Research Studies, its Functions, and Regulations for Conduct of its meetings [under Statute 19].

The Para's 2 & 3 of the Ordinance 33 of 2018 prescribing Composition of Board of Research Studies, its Functions, and Regulations for Conduct of its meetings shall be amended as follows : -

Existing	Amended
2. Convener: a senior faculty nominated by the Vice Chancellor shall be the Convener.	2. Convener: the Controller of Examinations or in his absence the Deputy Registrar (Academics) shall be the Convener.
3. Invitees: Controller of Examinations or his nominee not below the rank of Assistant Registrar shall be a permanent invitee. When necessary, the Chairman may invite anyone as a Special Invitees.	3. Invitees: When necessary, the Chairman may invite anyone as a Special Invitees.

Ordinance 1 of 2020

[EC-2019-51-09 dated 20.12.2019]

"Ordinance for Establishing the Centre for Training & Continuing Education (CTCE)

1. **Centre for Training & Continuing Education:** A Centre for Training & Continuing Education (CTCE) shall be established at IMU HQ to serve the training requirements of Officers, Professionals, Faculty and Students in the Shipping, Port and other related sectors.

2. **Administrative Structure of CTCE**:

a. A senior Professor from any school shall be designated as Head (CTCE) by the Vice Chancellor (VC). Head (CTCE) shall report to VC. In the absence of Professor, a senior Faculty member shall be nominated by the VC for heading the CTCE.

b. Senior faculty (in relevant discipline) shall be assigned additional charge of Programme Coordinator (PC) for each training activity by Vice Chancellor in consultation with Head (CTCE) and concerned Campus Director. Programme Coordinator shall report to Head (CTCE).

c. The Programme Coordinator shall manage the programme by distributing the work to his team of faculty (Regular /Contract/Visiting) and support staff. The time logged into these programmes are considered as part of academic workload for APAR purposes.

d. Vice Chancellor shall assign administrative support staff (DR/AR/SO/Assistant) to CTCE as required to conduct the activities. These administrative staff shall report to Head (CTCE).

3. **Functions of CTCE:**

a. To fulfil the maritime training requirements of Officers, Professionals, Faculty and Students in the Shipping, Port and other related sectors.

b. Interact with Universities/Professional Bodies/Industry/Govt. agencies to plan, develop and deliver new training programme.

c. Process the proposals received from Faculty for conduct of training programmes and prepare an Annual Training Calendar of IMU, which shall be then put up for the approval of the Vice Chancellor.

d. Create and maintain infrastructural requirement for training purposes at HQ and Campuses.

e. Maintain a repository of learning material accumulated through the training courses for the future use of trainers and to develop distributed learning systems (web-based courses) & delivery methodology.

f. Manage the Finances and Accounts of CTCE in an efficient and optimal way.

4. The various types of Certification to be issued by the CTCE shall be as follows:

#	**Programme**	**Duration**
1	Certificate in concerned discipline	Up to 6 months
2	PG Diploma	6 – 12 months
3	PG Degree	Above 12 months

5. **Manpower**

a. Faculty members who wish to offer training programmes shall submit a detailed proposal to Head (CTCE) including the objective of the programme, fee to be charged, applicable GST and other taxes, budget, overheads, manpower & infrastructure requirement etc.

b. The Faculty whose training programme is approved shall be designated as the Programme Coordinator. He/she shall manage the Programme's infrastructure and Faculty requirement by sourcing internal and external resource persons.

c. Short term contract appointment of staff shall be permitted for conduct of the programme. This could be for teaching or administrative support services as decided by Programme Coordinator and in line with relevant IMU norms.

6. **Finance**

(I) The revenue expenses shall be normally restricted to revenues generated by CTCE. Any shortfall shall be met from the Reserve Fund created for this purpose, with the approval of the Vice Chancellor.

(II) For each training programme, the Programme Coordinator shall submit a budgetary proposal for approval. GST and other applicable Taxes shall be taken into account at the time of budgeting.

c. The time spent by regular employees shall be accounted for in the CTCE with appropriate costing.

d. All expenses for resource person (like remuneration, travel, hospitality, honorarium, etc.) engaged for the training programmes shall be paid as per IMU norms.

e. Procurement and services shall be carried out complying with IMU's procurement norms.

f. Physical infrastructure requirement to conduct the activities of CTCE (like office space, class rooms, etc.) shall be met from IMU HQ / Campuses. There shall be an overhead charge loaded on the programme budget as per IMU norms. The maintenance of all infrastructure facilities and up gradation shall be met with from the revenue budget of IMU. Any asset created for CTCE shall be at the disposal of IMU for optimum utilisation.

g. The Programme Coordinator shall submit within one month of completion of training programme, a detailed report including the technical aspects, participant details & feedback and final statement of Income & Expenses.

h. The net surplus, if any, received after accounting for all direct and indirect costs and overheads, from a training programme would be apportioned in the following way:

(i) 50% of surplus transferred to the Reserve Fund of CTCE
(ii) 15% to Campus Development Fund
(iii) 10% to University Development Fund and
(iv) 25% will be paid as incentives to Faculty and Staff involved in the training programme as proposed by the Programme Coordinator, recommended by the Head (CTCE) and approved by VC subject to the following conditions:
   a) For all staff of IMU, the upper limit for honorarium from Training Programmes, Consultancy & others in a financial year is 60% of the gross salary received in that financial year.
   b) The contract employees engaged exclusively for a training programme shall not be eligible for honorarium in that training programme.
   c) A separate account head shall be maintained for each training programme by the Programme Co-ordinator.
   d) The time spent by a faculty / staff on externally funded training programme shall not lead to compromise on their mandatory workload, as per IMU norms."

Ordinance 2 of 2020

[EC-2019-51-11 dated 20.12.2019]

Ordinance on Performance Based Reward for students of IMU Campuses

1. This Ordinance shall be applicable to students admitted from academic year 2020-21 onwards. For the students admitted earlier, the existing Ordinance 80 of 2015 published in Official Gazette No. 273 dated 19.07.2018 shall apply.

2. The 'Performance-based Reward' Scheme is applicable to students of IMU Campuses only, and is aimed at motivating the students to continue to perform meritoriously from year to year; to maintain discipline and good conduct; and to reduce the bank loan burden of meritorious students.

3. As it is a reward, it will be based purely on academic performance and will not be linked to economic means.

4. As it is a reward for pure merit, it will not be a bar to a student getting any scholarship/ freeship /studentship/fellowship, etc. from any other source.

5. The rewards will be given annually, based on the academic performance in the immediate previous year. No rewards will be given for the final year, of any programmes i.e., for 2,3,4 years programme, no reward will be given for 2nd/3rd/4th years, respectively

6. It will apply only to UG and PG Degree programmes of duration 2 years or more. Thus DNS, PGDME and other programmes with duration of less than two years will not be covered under this scheme.

7. To be eligible for the 'Performance-based Reward', the students should get at least 75% aggregate marks computed based on the marks scored in both odd and even semester for the relevant year. Details shown below:

Programme Duration	Time of disbursement	Semesters that would be considered for computing the aggregate marks for an academic year
2 Years	At the end of first academic year	1 & 2
3 Years	At the end of first academic year	1&2
	At the end of second academic year	3&4
4 Years	At the end of first academic year	1&2
	At the end of second academic year	3&4
	At the end of third academic year	5&6

8. To be eligible for the reward, the student should not have any standing arrears pertaining to any semester, upon publication of results for the relevant year considered for reward.

9. Any student, who has suffered any punishment for ragging or examination malpractices or has indulged in any act of gross indiscipline or misconduct, shall be permanently ineligible for this reward. A 'NOC' from the Campus Directors shall be obtained in this regard.

10. The total number of students in the order of merit who will get a 'Performance Based Reward' will be as per the Table below:

Programme/Reward Amount (Rs.)	UG/PG	Year	Topper – Rs. 50,000	II Slab: Rs. 35,000	Topper: Rs. 25000	Topper: Rs. 20,000	II Slab: Rs. 18,000	II Slab: Rs.15,000	Total Rewards
B.Sc(NS)	UG	1	1	21	-	-	-	-	22
B.Sc(NS)	UG	2	1	21	-	-	-	-	22
B.Tech (ME)	UG	1	1	27	-	-	-	-	28
B.Tech (ME)	UG	2	1	27	-	-	-	-	28
B.Tech (ME)	UG	3	1	27	-	-	-	-	28
B.Tech (NA & OE)	UG	1	1	3	-	-	-	-	4
B.Tech (NA & OE)	UG	2	1	3	-	-	-	-	4
B.Tech (NA & OE)	UG	3	1	3	-	-	-	-	4
MBA (ITL) and MBA (PSM)	PG	1	1	11	-	-	-	-	12

M.Tech(NAOE) and M.Tech(DHE)	PG	1	1	2	-	-	-	-	3
M.Tech (MEM)	PG	1	1	1	-	-	-	-	2
BBA(LRE)	UG	1	-	-	-	1	-	5	6
BBA(LRE)	UG	2	-	-	-	1	-	5	6
MSC(CSL)	PG	1	-	-	1	-	1	-	2
			11	146	1	2	1	10	171

Note: The distribution of rewards, as per the above table shall not be exceeded i.e. Number of rewards for each programme, slab and the total number of rewards as per the above table shall not exceed in any given year.

11. For determining the 'toppers' and the other rewardees, the University as a whole shall be treated as the unit; not the individual Campuses.

12. In the event of a 'tie', the same shall be resolved by arranging the students in the descending order of the total external examination marks for Theory papers of the particular semesters. If there is still a 'tie' the same shall be resolved by arranging the students in the descending order of percentage of attendance for that semesters.

13. The student is not entitled to set off his eligible 'Performance-based Reward amount' against his semester fees and other dues payable to IMU. However IMU reserves the right to recover any of its dues from the student out of his 'Performance-based reward'."

14. IMU reserves the right to amend/repeal or withdraw this Ordinance at any point of time."

Capt. (IN) A. K. PALUSKAR (Retd.), Registrar, IMU

[ADVT.-III/4/Exty./488/19]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.03.13 15:39:07 +05'30'